भारतीय न्याय संहिता 2023 का तुलनात्मक अध्ययन: याज्ञवल्क्य स्मृति के संदर्भ में

डॉ हेमराज सैनी

सहायक आचार्य, संस्कृत

राजकीय कन्या महाविद्यालय बूंदी

****

शोध सारांश - आचार्य वात्स्यायन ने कानून अर्थात न्याय को परिभाषित करते हुए उल्लेख किया है कि अक्षुदृष्ट एवं शास्त्रदृष्ट तत्वों के वास्तविक स्वरूप का अवगत करवाने वाली विद्या 'न्याय विद्या 'कहलाती हैं -''प्रत्यक्षागमाभ्यामीक्षितस्यार्थस्यान्वीक्षणमन्वीक्षा। तया प्रवर्तत इत्यान्वीक्षकी न्यायविद्या न्यायशास्त्रम्''। (न्यायभाष्य प्रथम सूत्र).

भारतीय धर्मशास्त्र में धर्म सूत्र साहित्य के पश्चात स्मृति साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है। स्मृति शब्द का शाब्दिक अर्थ है जो याद किया जाने योग्य हो। अर्थात जो श्रुति या श्रवण से भिन्न हो किन्तु स्मृति शक्ति पर विशेष छाप डाले। संकुचित अर्थ में स्मृति साहित्य विधि या मानव व्यवहार के ज्ञान को आलेखित करता है। स्मृति साहित्य में प्राचीनतम मनुस्मृति तदन्तर याज्ञवल्क्य स्मृति प्रमुख हैं। प्रस्तुत स्मृति में मानव व्यवहार एवं विधि विधान को तीन अध्याय में वर्णित किया गया है। आचार अध्याय में धर्म को परिभाषित करते हुए मनुष्य के जन्म से मृत्यु पर्यन्त के षोडस संस्कार, विवाह के प्रकार, गृहस्थ के कर्तव्य , एवं सामाजिक जीवन प्रणाली का व्यवस्थित पद्यात्मक भाषा शैली में उल्लेख किया गया है। व्यवहार अध्याय में समाज को अनुशासित रखने हेतु न्यायिक अथवा दण्डात्मक कार्यों का सांगोपांग वर्णन है। प्रायश्चित अध्याय में मनुष्य द्वारा अपने जीवन काल में किए गए पाप अथवा अपवित्रता से मुक्त होने के प्रायश्चित यम नियमों का वर्णन है। संवादात्मक शैली में ऋषि मुनियों के प्रश्नों के प्रत्युत्तर में योगीश्वर याज्ञवल्क्य धर्म को परिभाषित करते हैं कि जिस देश में कृष्ण मृग स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं, वह धर्म है। जैसा कि उल्लेख है -

(यस्मिन्देशेमृग:कृष्णस्तस्मिन्धर्मान्निबोधत्)।

वस्तुत: याज्ञवल्क्य स्मृति में न्यायिक व्यवस्था का जो उल्लेख किया गया है वह तत्कालीन समाज की परिस्थितियों को अनुशासित करने में कारगर था। बाद में बाहरी जातियों के आक्रमण के कारण सामाजिक व्यवस्था में बदलाव आ गया।मध्य काल एवं ब्रिटिश कालीन उपनिवेशवाद की संकीर्ण मानसिकता से युक्त दण्डात्मका व्यवस्था को प्रतिस्थापित करते हुए भारतीय पुरातन संस्कृति में निहित धर्म सम्मत न्यायिक संहिता को आधुनिक समाज में पुनः स्थापित करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2023 में भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता 2023 को लागू किया गया है। दिसंबर 2023 में, भारतीय संसद ने तीन नए आपराधिक कोड पारित किए- भारतीय न्याय संहिता ('बीएनएस'), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ('बीएनएसएस') और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ('बीएसए') - जो क्रमशः भारतीय दंड संहिता, 1860 ('आईपीसी'), आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 ('सीआरपीसी') और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 ('आईईए') की जगह लेंगे। इन विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल

गई और इन्हें 25 दिसंबर, 2023 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया।इन संशोधित कानूनों में यद्यपि वर्तमान सरकार का मुख्य ध्येय गुलामी मानसिकता युक्त ब्रिटिश सरकार के दण्डात्मक कानूनों को प्रतिस्थापित करने का है किंतु साथ ही प्राचीन भारतीय संस्कृति के धर्म सम्मत विधि विधान को पुनर्जीवित करने का भी सफल प्रयोग परिलक्षित होता है।

कुंजी शब्द -व्यवहार, साक्षी,दण्डपारुष्य,स्तेय,कन्यादूषण

****

प्रस्तावना

पुराणमित्येव न साधु सर्वं

न चाऽपि काव्यं नवमित्यवद्यम्।

सन्तः परीक्षान्यात्रत् भजन्ते

मूढ़ः परप्रत्यायनेयबुद्धिः ॥

मालविकाग्निमित्रम् (महाकवि कालिदास)

अर्थात काव्य अथवा शास्त्र इसलिए अच्छे नहीं होते हैं कि वह पुराने हैं तथा इसलिए भी बुरे नहीं है कि वह नए हैं। सज्जन अथवा विद्वान व्यक्ति उन दोनों को अच्छी प्रकार से जांच कर ही यह तय करते हैं कि क्या अच्छा है अथवा बुरा है,केवल मूर्ख व्यक्ति की बातों पर आंख मूंदकर ही वह यह सब विश्वास नहीं सकते हैं। जैसा कि वर्तमान केंद्रीय सरकार द्वारा जो नवीन कानून संसद में पारित किए हैं, वह निश्चित ही ब्रिटिश काल में क्राउन द्वारा अधिरोपित दंडात्मक कानून को प्रतिस्थापित करते हुए प्राचीन भारतीय परंपरा में निहित विभिन्न ऋषि मुनियों द्वारा स्थापित सामाजिक व्यवस्था को व्यवस्थित करने वाले न्यायिक कार्यों को सभ्य समाज में पुनः स्थापित करने का सफल प्रयास है। भारतीय दंड संहिता 1860 में अंग्रेजी हुकूमत द्वारा जो' दंड' शब्द प्रयुक्त किया है वह केवल क्राउन सरकार को सुरक्षित रखने अथवा ब्रिटिश हुकूमत को भारत में बनाए रखने हेतु यहां के नागरिकों पर दंडात्मक कानून अधिरोपित करने से संबंधित थे। शास्त्रों में ' दण्ड' शब्द का निर्वचन प्राप्त होता है -''दण्ड्य पुरुषो दण्डमहर्तीति वा दण्डेन सम्पद्यते इति वा । दण्डो ददतेर्धारयतिकर्मणोऽक्रूरो ददते मणिमित्यभिभाषन्ते दमनादित्यौपमन्यवो दण्डमस्याकर्षतेति।''1 यद्यपि संबंधित विषय की आलोचना करने में मेरा कोई दुराग्रह नहीं हैं किंतु विश्वास है कि प्राचीन परंपरा ही सार्वभौमिक सत्य हैं। प्राचीन शास्त्रों में न्याय व्यवस्था को धर्म शास्त्र के रूप में परिभाषित किया है तथा याज्ञवल्क्य स्मृति के व्यवहार अध्याय में राजा द्वारा सामाजिक व्यवस्था को संचालित करने हेतु न्यायिक व्यवस्था या दण्डात्मक व्यवस्था का सांगोपांग वर्णन किया है। यहां 'व्यवहार ' शब्द का व्याकरणात्मक अर्थ है -वि+अव+हृ+घञ् अर्थात न्यायलयी या अदालती कार्यविधि, किसी अभियोग या मामले की छानबीन न्याय प्रशासन

(व्यहारस्तमह्वायति अलं लज्ययया व्यहारस्त्वां पृच्छति। व्यवहार दीवानी एवं फोजदारी कानूनों के समूह को रेखांकित करता है।याज्ञवल्क्य स्मृति में धर्मशास्त्र प्रवर्तक(न्यायिक) ऋषियों का नाम निम्नलिखित श्लोक में भी वर्णित है-

"मन्वत्रि-विष्णु-हारीत-याज्ञवल्क्योशनोऽङ्गिरा:।

यमापस्तम्ब-संवर्ता: कात्यायन -बृहस्पती"।।

पराशर-व्यास-शङ्ख-लिखिता दक्ष -गौतमौ।

शातातपो वशिष्ठश्चधर्म-शास्त्र-प्रवर्त्तका:।।2

यहां पर प्राचीन न्यायिक ऋषियों के अंतर्गत मनु ,अत्री, विष्णु, हारीत, याज्ञवल्क्य ,उशना ,अंगिरा,आपस्तम्ब, संवर्त ,कात्यायन , ब्रहस्पति ,पाराशर, व्यास, शंख,आचार्य दक्ष ,आचार्य गौतम ,शतातप,एवं आचार्य वशिष्ठ का नाम सुनने को मिलता है। यद्यपि इन सभी आचार्य द्वारा 'न्याय' को धर्म के रूप में परिभाषित किया है यतोहि प्राचीन समाज धर्म के अधीन है। या.स्मृ. आधारित आचार्य विज्ञानेश्वर प्रणीत 'मिताक्षरा' टीका में धर्म का लक्षण बताया है -

श्रुति: स्मृति:सदाचार:स्वस्य च प्रियमात्मन:।

सम्यक्संकल्पज:कामो धर्ममूलमिदं स्मृतम्।।3

आन्वीक्षिकी,त्रयी, वार्ता एवं दण्डनीति इन चार विद्याओं में वर्णित दण्डनीति सामाजिक न्याय के संदर्भ में उल्लेखित है।वास्तव में, वामन आप्टे के 'संस्कृत -हिंदी शब्दकोश '4 में न्याय का निर्वचन (नियन्ति अनेन-नि+इ+घञ्) करते हुए तथा 26 प्रकार के न्याय भेदों को स्वीकार करते हुए निम्नलिखित तेरह अर्थ दिए हैं-

(i) विधि, ढंग (ii) उपयुक्तता, औचित्य (iii) नीच, न्याय, सदाचार, समता, धार्मिकता। (iv) एक कानूनी मुकदमा, (v) न्यायिक सजा, (vi) नीति, अच्छी सरकार (vii) एक लोकप्रिय कहावत (viii) एक विपरीत चित्रण, (ix) वैदिक खाता। (x) एक सार्वभौमिक नियम। (xi) ऋषि गौतम द्वारा स्थापित हिंदू दर्शन की प्रणाली। (xii) सिलोगिज़्म- विष्णु का एक विशेषण एवं अनुमान की प्रक्रिया।इसी तरह संस्कृत न्यायावलि डाक्यूमेंट में न्याय के 406 प्रकारों का उल्लेख प्राप्त होता है।5 प्रमेय के संदर्भ में महर्षि गौतम प्रणीत' न्याय दर्शन' में वर्णित 16 प्रकार की श्रेणियां भी न्याय के भेदोपभेदों का ही उल्लेख है।इसी तरह वेद, उपनिषद,पुराण, रामायण, महाभारत एवं लौकिक संस्कृत साहित्य के अनगिनत ग्रंथों में भी न्याय के भिन्न भिन्न अर्थ प्राप्त होते हैं।या.स्मृ.में भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस 2023)की अधिकांश संहिताए यथा वर्णित है। भ्रूण विज्ञान (फोरेंसिक साइंस) जैसे अपराधों के बारे में भी या.स्मृ.में उल्लेख प्राप्त होना इसकी वर्तमान प्रासंगिकता को द्योतित करता है।

मुख्य विषय -भारतीय न्याय संहिता 2023 जो कि भारतीय दंड संहिता 1860 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया कानून है , इसमे 20 अध्याय एवं 358 धाराएं रखी गई हैं। पुराने कानून की अपेक्षा इसमें 21 नये अपराधों को इसमें जोड़ा गया है । 41 अपराधों में कारावास की सजा की अवधि बढ़ाई गई है । 25 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्रावधान किया गया है। 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा का प्रावधान है 82 अपराधों में जुर्माने की राशि में वृद्धि की गई है तथा 19 धाराओं को निरस्त किया गया है।बी एन एस की अधिकांश संहिताओं का बीज याज्ञवल्क्य स्मृति में धर्मशास्त्र के रूप में वर्णित किया गया है। शोध पत्र में बी एन एस -2023 के 20 अध्यायों को या.स्मृ. के न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में व्याख्यायित करने का प्रयास किया गया है।

प्रथम अध्याय बी एन एस 2023 में

जैसा कि संसद द्वारा नवम्बर 2023 को अधिनियमित होने तथा गजट प्रकाशन के पश्चात अस्तित्व में आये नवीन कानून का अधिकार भारतीय नागरिक के अपराध (भारत भू क्षेत्र या इतर भू भाग)अथवा भारतीय सीमा में विदेशी नागरिक के अपराध अथवा वह अपराध जो मानव द्वारा मानव से भिन्न किसी जीवधारी जीव-जंतु , वृक्षों एवं लताओं से अभिप्रेत है।इस अध्याय में कुल 3 खंड है, जिसमें न्यायिक कार्य हेतु न्यायाधीश की नियुक्ति या निकाय का कार्य वर्णित है।या.स्मृ. में राजा या न्यायाधीश,जो विधि द्वारा प्राधिकृत है, जिसके निर्णय के विरुद्ध अपील न की जा सके।वह एक भी हो सकता है अथवा निकाय के रूप में।या.स्मृ. में निकाय के स्थान पर 'सभासद 'शब्द प्रयोग में है। सभासद का उल्लेख है -

"श्रुताध्ययनसंपन्ना धर्मज्ञा: सत्यवादिन:।

राज्ञा सभासद: कार्या रिपौ मित्रे च ये सभा:"।।5

अर्थात जो वेदादि में निपुण,धर्मज्ञ, सत्यवादी,राग द्वेषादि से रहित, पुरुषों को सभासद नियुक्त किया जाएगा। आगे सर्वधर्मवित् व्यक्ति भी सभासद की नियुक्ति का अधिकारी है -

"अपश्यता कार्यवशादव्यवहारान्नृपेण तु।

सभ्यै:सह नियौक्तव्यो ब्राह्मण: सर्वधर्मवित्"।।6

द्वितीय अध्याय बी एन एस 2023 -इस अध्याय में कुल 10 धाराएं सम्मिलित की गई है। जिसमें दण्ड के पांच भेद (मृत्यु, आजीवन कारावास कठिन कारावास व सादा, संपत्ति का अपहरण, आर्थिक जुर्माना, सामुदायिक सेवा) वर्णित है।या.स्मृ. में दण्ड के चार भेद उल्लेखित है -

"धिग्दण्डस्त्वथ वाग्दण्डो धनदण्डो वधस्तथा।

योज्या व्यस्ता: समस्ता: वा ह्यपराधवशादिमे"।।7

यहां बी एन एस 2023 में शारीरिक वध को मृत्यु दण्ड,धन दण्ड को संपत्ति का अपहरण आर्थिक दण्ड,वाग् दण्ड को कठिन कारावास व साधारण कारावास तथा धिग् दण्ड को सामुदायिक सेवा के रूप में उल्लेख किया गया है।

अध्याय 3 एवं 4 बी एन एस 2023

इन अध्यायों में क्रमशः कुल 31 तथा 18 धाराएं उल्लेखित है।या.स्मृ. में उल्लेख है कि राजा या न्यायाधीश को क्रोध एवं लोभ को त्यागकर नीति के अनुसार सामाजिक मनुष्यों के साथ व्यवहार (वादों मुकदमों)करना चाहिए। न्यायिक व्यक्ति को नीतिशास्त्र से युक्त होकर समदृष्टि से न्याय कार्य को सम्पन्न करना चाहिए-

"स नेतुं न्यायतोऽशक्यो लुब्धेनाकृतबुद्धिना।

सत्यसंधेन शुचिना सुसहायेन धीमता"।।8

या.स्मृ.मे संज्ञेय अपराध अथवा अधर्म में दोषी व्यक्ति को शारीरिक वध(मृत्यु दण्ड) देने का सकारात्मक फल भी वर्णित हैं -

" यो दण्ड्यान्दण्डयेद्राजा सम्यग्वध्यांश्च घातयेत्।

इष्टं स्यात्क्रतुभिस्तेन समाप्तवरदक्षिणै:।।9

अर्थात मृत्युदंड योग्य दोषी का वध करने के निर्णय से राजा को अधिक यज्ञो का फल प्राप्त होता है। अध्याय 3 की धारा 40 में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के तहत हर व्यक्ति का अधिकार है कि वह ऐसे कार्य के विरुद्ध जो चोरी लूट ,रिष्टि ,आपराधिक अतिचार की परिभाषा में आने वाला अपराध है, वह वाक की कठोरता एवं दंड की श्रेणी में समझा जाएगा तथा दण्ड का भागी होगा ।यही बात या.स्मृ.के व्यवहार अध्याय के वाक्यपारुष्य तथा दण्डपारुष्य प्रकरण में भी विवेचित है। जहां व्यक्ति के प्राइवेट अधिकारों स्वयं के शरीर की अपहानि अथवा संपत्ति की अपहानि,यहां तक की प्रकृति अथवा जीव जंतु जो मनुष्य नहीं है कि प्राइवेट अधिकारों का अपचय होने पर दंड का विधान उल्लेखित किया है। पुरुष अथवा व्यक्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अंतर्गत निष्ठुर आक्रोश का दंड, गाली देने का दंड, अंग विक्षिप्त का दण्ड,धमकी का दंड, दंडपारुष्य के संदिग्ध स्वरूप का निर्णय, पेर -केश- वस्त्र- हाथ पकड़कर खींचने का दंड, लकड़ी से मारने का दण्ड, खून निकालने का दण्ड,समूह द्वारा एक व्यक्ति के पीटे जाने (मोब लीचिंग) का दंड, गृह भेदन का दंड ,स्वच्छेया से किसी व्यक्ति के घर में कांटा -विष, सर्प छोड़ने का दंड, पशुओं को मारने का दंड ,वृक्षों को हानि पहुंचाने का दंड, यहां तक की लताओं को हानि पहुंचाने का दंड भी विस्तार से उल्लेखित किया गया है। इसके अतिरिक्त निर्दोष का ना प्रमाणित करने वाले को दंड , विशेष अपराधों के लिए विशेष दंड की व्यवस्था भी यहां पर की गई है। या.स्मृ. में दुष्प्रेरण (किसी बात को करने हेतु उकसाने), आपराधिक षड्यंत्र, प्रयत्न को साहस करने (उकसाने) वाले को भी दण्ड का दोषी बताया है यथा "राजदण्डं जनाक्रोशं चोल्लङ्घय राजपुरुषेतरजनसमक्षंयत्किंचिन्मारणहरणपरदारधर्षणादिकं क्रियते तत्सर्वं साहसमिति।

साहसलक्षणं-सामान्यद्रव्यप्रसभहरणात्साहसं स्मृतम्।10

अध्याय 5 बी एन एस 2023

इस अध्याय में कुल 35 धाराएं (63-97) है जिसमें स्त्री के साथ बलात् व्यभिचार, सामुहिक बलात्संग,लैंगिक उत्पीडन, विवाह से संबंधित अपराध, गर्भपात कारित अपराध तथा बालकों के विरुद्ध अपराधों को शामिल किया है।या.स्मृ. में स्त्री संग्रहण के प्रकार,परायी स्त्री के साथ व्यभिचार, बलात् व्यभिचार, छेड़खानी का अपराध, सजातीय विजातीय स्त्रीयों (बालिकाओं) के साथ व्यभिचार का दण्ड, विवाहिता का अपहरण,उसकी सहमति असहमति से योन अपराध का दण्ड का विस्तार से बताया गया है।बी एन एस 2023 की तरह ही यहां इन अपराधों में अपराधी को प्रथम साहस (मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास, शारीरिक हानि)के दण्ड का प्रावधान है। जैसा कि वर्णित है - सजातावुत्तमो दण्ड आनुलोम्ये तु मध्यम:।

प्रातिलोम्ये वध: पुंसो नार्या: कर्णादिकर्तनम्।।

अलंकृता हरन्कन्यामुत्तमं ह्यन्यथाऽधमम्।

दण्डं दद्यात्सवर्णासु प्रातिलोम्ये वध:स्मृति:।।

सकामास्वनुलोमासु न दोषस्त्वन्यथा दम:।

दूषणे तु करच्छेद उत्तमायां वधस्तथा।।11

अध्याय 14 बी एन एस 2023

इस अध्याय में मिथ्या साक्षी और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में दंडात्मक न्याय का प्रावधान किया गया है जिसमें अधिकतम 7 वर्ष का कारावास तथा ₹10000 तक के जमाने का प्रावधान है। या.स्मृ में भी साक्षि प्रकरण में साक्षी के स्वरूप का निर्णय, साक्षी के भेद, साक्षी की योग्यता , साक्षियों के उद्बोधन का उल्लेख करते हुए मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का प्रावधान किया गया है-

ये पातककृतां लोका महापातकिनां तथा।

अग्निदानां च ये लोका ये च स्त्रीबालघातिनाम्।

स तान्सर्वानवाप्नोति य: साक्ष्यमनृतं वदेत्।।

सुकृतं यत्त्वया किंचिज्जन्मान्तरशतै:कृतम्।

तत्सर्वं सत्य जानीहि यं पराजयसे मृषा।।12

अध्याय 17 बी एन एस 2023

इस अध्याय की धारा 306 में वर्णित है कि जब कोई व्यक्ति बेईमानी से मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित करता है तो "उद्यापन " कहलाता है यही बात या.स्मृ. उपविधि प्रकरण में प्रतिभूति के परिवर्तन के अपराध के संदर्भ में व्याख्यायित है -

न दाप्योऽपहृतं तं तु राजदैवितस्करै: ।

भ्रेषश्चेन्मार्गितेऽदत्ते दाप्यो दण्डं च तत्समय ॥

आजीवन्स्वेच्छया दण्डयो दाप्यस्तं चापि सोदयम्।

याचितान्वाहितन्यासनिक्षेपादिस्वयं विधि:।।13

इसी तरह बी एन एस 2023 में स्तेय चोरी के संदर्भ में भी विभिन्न दृष्टांतो के माध्यम से विस्तार से न्यायिक कार्यों का उल्लेख है ।या.स्मृ.मे स्तेय का लक्षण प्रतिपादित किया है

-"ग्राहकैगृह्यते चौरो लोप्त्रेणाथ पदेन वा।

पूर्वकर्मापराधी च तथा चाशुद्धवासक:।।14

इसके साथ ही स्व नाम -जाति छिपाने वाले,जुआ-वेश्यागमन, मद्यपान में लिप्त रहने वाले,गुप्त निवास वाले,, अपव्ययी, वाक् परिवर्तन करने वाले,वेष बदलकर रहने वाले,खोई हुई वस्तु को विक्रय करने वाले व्यक्ति चोर की श्रेणी में माना गया है। साथ ही तात्कालिक व्यवस्था में ब्राह्मण चोर के लिए दण्ड, ग्राम चोर को दण्ड,वस्त्र चोर,धान्य चोर,स्वर्ण चोर, विशेष द्रव्य की चोरी करने वाले लोगों को भिन्न भिन्न प्रकार के न्यायिक दण्डों की व्यवस्था भी की गई है।

अध्याय 7 बी एन एस 2023

इस अध्याय में भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना अथवा युद्ध करने का प्रयत्न करना यह दोनों ही अपराध की श्रेणी माने गए हैं साथ ही आईपीसी 1860 मे " राजद्रोह"के स्थान पर अब "देशद्रोह" (भारत)शब्द का प्रयोग किया जाएगा, जिसमें भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला देश अथवा व्यक्ति विशेष को अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। जैसा कि या.स्मृ. में राज्य का अहित चाहने वाले,राज्य निन्दक, राष्ट्रनीति की गोपनीय बातों को शत्रु राष्ट्र को प्रकट करने वाले अपराधी व्यक्ति को शारीरिक वध अथवा अंग विच्छेद एवं देश निर्वासित के दण्ड का दोषी माना गया है-

राज्ञोऽनिष्टप्रवक्तारं तस्यैवाक्रोशकारिणाम्।

तन्मन्त्रस्य च भेत्तारं छित्त्वा जिह्वां प्रवासयेत्।।15

राजा देशद्रोह के अपराधी को प्रथम साहस का दण्ड दिया जाएगा -''प्रथमो ग्रामदेशयो: " ।इसी तरह ई मुद्र सिक्के आदि के विक्रय करने, चोरी करने, नकली मुद्रा प्रचलन ,आदि के संबंध में भी दंडात्मक न्याय का उल्लेख या.स्मृ.में प्राप्त होता है-

''कूटस्वर्णव्यवहारी विर्मासस्य च विक्रयी।

त्र्यङ्गहीनस्तु कर्तव्यो दाप्यश्चोत्तमसाहसम्।।16

निष्कर्ष -अंततः कहा जा सकता है कि याज्ञवल्क्य स्मृति धर्मशास्त्र परम्परा या भारतीय न्याय परंपरा का ग्रंथ (स्मृति) है। याज्ञवल्क्य स्मृति को अपने तरह की सबसे अच्छी एवं व्यवस्थित रचना माना जाता है। इसकी विषय-निरूपण-पद्धति अत्यंत सुग्रंथित है। इसपर विरचित विज्ञानेश्वर की ' मिताक्षरा ' टीका हिंदू धर्मशास्त्र के विषय में भारतीय न्यायालयों में प्रमाण मानी जाती रही है। व्यवहार अध्याय में उल्लेखित साधाराव्यवहारमातृका, ऋणादानोपनिधि-साक्षी-लेख्य-दिव्य-दायविभाग-सीमाविवाद-स्वामिपालविवाद-अस्वामिविक्रय-दत्ताप्रदानिक क्रीतानुशया-अभ्युपेत्याशुश्रूषा-संविदव्यतिक्रम्-वेतनादानद्यूत समाह्वय -वाक् पारुष्य-दण्डपारुष्य-साहस विक्रीयासम्प्रदान सम्भूय समुत्थान-स्तेय-स्त्रीसंग्रहण आदि प्रकरण भारतीय न्याय संहिता 2023 में पुख्ता प्रमाण के रूप में स्वीकार किए जाते हैं।

सन्दर्भ

1. निरूक्त, अध्याय 2/खण्ड 2 पृष्ठ - 89 बनस्थली प्रकाशन,सन 1914 ई. digitallibraryindia

2.याज्ञवल्क्य स्मृति 1/4/5

3.याज्ञवल्क्य स्मृति 1/7/4

4. वामन शिवराम आप्टे, संस्कृत हिंदी शब्दकोश, मोतीलाल बनारसी दास, वाराणसी,प्रथम हिंदी संस्करण पृ.556

5. nyaayaavalii Sanskrit Maximums and Proverbs,https://web.archive.org/web/20160918163049/

6.याज्ञवल्क्य स्मृति 2/2/164

7.याज्ञवल्क्य स्मृति 2/3/165

8.याज्ञवल्क्य स्मृति 1/367/162

9.याज्ञवल्क्य स्मृति 2/355/156

10.याज्ञवल्क्य स्मृति 2/359/158

Knowledgeable Research (An International Peer-Reviewed Multidisciplinary Journal) **ISSN 2583-6633**
Available Online: http://knowledgeableresearch.com Vol.04, No.3, March, 2025

11. याज्ञवल्क्य स्मृति 2/230/353

12. याज्ञवल्क्य स्मृति 2/286-288/378

13. याज्ञवल्क्य स्मृति 2/73-75/227

14. याज्ञवल्क्य स्मृति 2/66-67/221

15. याज्ञवल्क्य स्मृति 2/266/368

16. याज्ञवल्क्य स्मृति 2/302/388

Corresponding Author: Dr Hemraj Saini
E-mail: hemrajsaini2011@gmail.com
Received: 02 March, 2025; Accepted: 14 March, 2025. Available online: 30 March, 2025
Published by SAFE. (Society for Academic Facilitation and Extension)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International License